

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/134179/KPN/KANPUR NAGAR/3609/CFO

दिनांक: 14-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **PT. DEEN DAYAL UPADHAYA SANATAN DHARM VIDYALAYA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **PT. DEEN DAYAL UPADHAYA SANATAN DHARM VIDYALAYA,NAWABGANJ ROAD,KANPUR NAGAR** तहसील - **sadar**, प्लाट एरिया **43518 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **14729.10** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| A | 3 | 0 | 10.60 mt. |
| B | 4 | 0 | 14 mt. |

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **PT. DEEN DAYAL UPADHAYA SANATAN DHARM VIDYALAYA** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **18-10-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAKESH TRIPATHI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **19-10-2024** से **19-10-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **PT. DEEN DAYAL UPADHAYA SANATAN DHARM VIDYALAYA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **PT. DEEN DAYAL UPADHAYA SANATAN DHARM VIDYALAYA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : The School is Operational Since long,Hence ,NOC is issued as per NBC-2016 & DGFS Circular on 14.03.24 for BOTH BLOCKS as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO K-2:

- 1.To Maintain All Fire Systems as per Norms in Operational mode Always.
- 2.To Maintain all Stairs and Electrical Safety Audit is Mandatory.
- 3.To Comply for Bye Laws, UP as per KDA or COMPETENT AUTHORITY & Drawing Approval is Essential from KDA or COMPETENT AUTHORITY.
- 4.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions or any deviation in norms of COMPETENT AUTHORITY or for any False Information or FSSO Report.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(DEEPAK SHARMA)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-10-2024
स्थान : KANPUR NAGAR

[D294717EEDD2F2586BB24BD5D6D9135AD528C0BF]

19-10-2024